न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 110/2026

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, पता नगर पालिका सुलताना, वार्ड नं0 6, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333028, मो0न0 8696973108

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 30.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 10.03.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 110/2026 पर दिनांक 16.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/680–681 दिनांक 11.03.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने अपने पत्रांक आरटीआई/2026/08 दिनांक 04.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 03.01.2026 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही जिसे श्रीमान्जी द्वारा कार्यालय हाजा को मूल ही पत्रांक सू0अ0/2026/01 दिनांक 07.01.2026 द्वारा हस्तान्तरित किया जाकर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निदेर्शित किया जिसके प्रत्युत्तर मे कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/2026/04–05 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा प्रार्थी को सूचचित करवाया जा चुका है। अतः प्रार्थी का यह अपील प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) चिडावा ने अपने अपने पत्रांक आरटीआई/2026/08 दिनांक 04.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 03.01.2026 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, चिडावा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही जिसे श्रीमान्जी द्वारा कार्यालय हाजा को मूल ही पत्रांक सू0अ0/2026/01 दिनांक 07.01.2026 द्वारा हस्तान्तरित किया जाकर सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निदेर्शित किया जिसके प्रत्युत्तर मे कार्यालय हाजा के पत्रांक आरटीआई/2026/04–05 दिनांक 03.02.2026 के द्वारा प्रार्थी को सूचित करवाया जा चुका है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नात्मक एवं संभावित सूचना चाही गई है जो नियमानुसार देय नही है जिसके क्रम मे प्रार्थी को अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर झुंझुनूं